

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 08/2021

रजिस्ट्रेशन नं. :2021/00010

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा

अभियुक्त :-

1. श्री सलमान मंसुरी पुत्र श्री अब्दुल लतीफ मंसुरी विक्रेता मैसर्स उज्जैन की फेमस कुल्फी, दुकान नं.1, कुशलबाग के सामने बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.) स्थायी पता - मकान नं.37, खटीकवाड़ा, नगर स्कूल के पास, बांसवाड़ा (राज.)
2. श्री मुन्ना भाई पुत्र श्री ताज मोहम्मद मालिक मैसर्स उज्जैन की फेमस कुल्फी, दुकान नं.1, कुशलबाग के सामने बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.)

बनाम

उपस्थित :-

श्री सलमान मंसुरी
श्री मुन्ना भाई

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 24.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 02-02-2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 02-07-2020 को 2.11 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स उज्जैन की फेमस कुल्फी, दुकान नं.1, कुशलबाग के सामने बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री सलमान मंसुरी उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान पर एल्युमिनियम की कोठी में करीब 10 लीटर लस्सी आम जनता को विक्रय हेतु पायी गई। इसमें सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए आम जनता को बिक्री हेतु रखी करीब 10 लीटर लस्सी में से 2 लीटर लस्सी (दही, शक्कर एवं बादाम कतरन निर्मित) वास्ते नमूना जाँच हेतु साफ, सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में खरीदा तथा इनकी कीमत 300 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के




हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन-2020 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा 2 लीटर लस्सी (दही, शक्कर एवं बादाम कतरन निर्मित) चार साफ, सुखे व खाली कौंच के जारो में बराबर-बराबर (प्रत्येक में करीब 500 ग्राम) भरकर फार्मेलीन की 40 बूंद प्रत्येक में डालकर जार का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। उक्त चार नमूना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/139 दिनांक 22.07.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 106 दिनांक 14.07.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय की गई लस्सी (दही, शक्कर एवं बादाम कतरन निर्मित) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(i) के तहत एक्सट्रेनियस मैटर होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 05-02-2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 24.02.2021 को अभियुक्त श्री सलमान मंसुरी एवं श्री मुन्ना भाई ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/139 दिनांक 22.07.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 106 दिनांक 14.07.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय की गई लस्सी (दही, शक्कर एवं बादाम कतरन




AS

निर्मित) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(i) के तहत एक्ट्रेनियस मैटर होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(i) के तहत एक्सट्रेनियस मैटर की गई लस्सी (दही, शक्कर एवं बादाम कतरन निर्मित) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 54 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री सलमान मंसुरी पुत्र श्री अब्दुल लतीफ मंसुरी विक्रेता मैसर्स उज्जैन की फेमस कुल्फी, दुकान नं.1, कुशलबाग के सामने बॉसवाडा जिला बॉसवाडा को रुपये 10,000/- (अक्षरे रू. दस हजार) तथा श्री मुन्ना भाई पुत्र श्री ताज मोहम्मद मालिक मैसर्स उज्जैन की फेमस कुल्फी, दुकान नं.1, कुशलबाग के सामने बॉसवाडा जिला बॉसवाडा रुपये 10,000/- (अक्षरे रू. दस हजार) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।




(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णय अधिकारी
(अति० जिला कलेक्टर)
बॉसवाडा (राज.)